उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग - 8
संख्या: मु0स0 10/29-8-2004-सी0पी0 1/87
लखनऊ :: दिनांक :: 31 मार्च, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें कम समय में सस्ता एवं त्वरित न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -1896 बनाया गया। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रदेश में व्यापक रूप में लागू करने एवं प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता अधिकारों से शिक्षित कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या- जी0 51/29-खाद्य-6-9(40)/82-85 दिनांक 14 फरवरी, 1987 द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा - 9(क) तथा 9(ख) में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम (जिला फोरम) तथा प्रदेश में एक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) का गठन किया गया है। जिला उपभोक्ता फोरमों तथा राज्य आयोग का कार्य चूँकि केवल उपभोक्ताओं के वादों को सुनने तथा निस्तारित करने तक ही सीमित था। अतः जिला फोरमों तथा राज्य आयोग का समस्त प्रशासकीय एवं बजट संबंधी कार्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय को सौंपे गये थे।

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 6928/99 उ0प्र0 राज्य एवं अन्य बनाम जीत सिंह बिष्ट व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2002 को पारित आदेशों के अनुपालन में अध्यक्ष, राज्य आयोग को राज्य आयोग के साथ-साथ जिला फोरमों का भी विभागाध्यक्ष घोषित करने तथा निबन्धक, राज्य आयोग को राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के समस्त अराजपत्रित कार्मिक पदों का नियुक्ति प्राधिकारी बना दिये जाने एवं राज्य आयोग तथा जिला फोरमों के समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार राज्य आयोग में निहित कर दिये जाने के कारण राज्य आयोग तथा जिला फोरमों से संबंधित कोई कार्य उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता जागरण से संबंधित कार्य ही निदेशालय में शेष रह गया है जिसको करने के लिए अलग से एक विभागाध्यक्ष कार्यालय बनाये रखने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है।

2. अतः श्री राज्यपाल महोदय उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उ0प्र0 का परिसमापन करके वहाँ का समस्त अवशेष कार्य एवं स्वीकृत कार्मिक पदों को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में संविलीन किये जाने के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या - जी0 51/29-खाद्य-6-9(40)/82-85 दिनांक 14 फरवरी, 1987 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उ0प्र0 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(2)(क) उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में सृजित महानिदेशक के पद को छोड़कर सहायक निदेशक पद (राजपत्रित) सहित समूह 'ग' तथा 'घ' के निम्नलिखित शेष 12 पदों का राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में संविलयन किया जाता है :-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)
1	सहायक निदेशक (राजपत्रित)	1	6500-200-10,500
2	कार्यालय अधीक्षक	1	5000-150-8000
3	वरिष्ठ सहायक	1	4500-125-7000
4	वरिष्ठ लिपिक	1	4000-100-6000
5	आशुलिपिक	1	4000-100-6000
6	सहायक लेखाकार	1	4000-100-6000
7	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	2	3050-75-3950-80-4590
8	चालक	1	3050-75-3950-80-4590
9	अर्दली	1	2550-55-2660-60-3200
10	चपरासी	2	2550-55-2660-60-3200
	कुल पद	12	

(ख) उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के सहायक निदेशक के पद (वेतनमान रू0 6500-200-10,500) का संविलयन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में उसी वेतनमान अर्थात रूपये 6500-200-10,500 में सहायक निबन्धक (राजपत्रित) के परिवर्तित पदनाम से किया जाता है।

(3) आई0ए0एस0 सीनियर स्केल/पी0सी0एस0 सलेक्शन ग्रेड में स्वीकृत महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के पद के सापेक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित दो अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(क) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)
(वेतनमान रू0 6500-200-10,500)

(ख) सहायक लेखाधिकारी (राजपत्रित)
(वेतनमान रू0 6500-200-10,500)

उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा सेवा स्थानान्तरण के आधार पर ही की जायेगी।

(4) उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की समस्त अवस्थापना सुविधाओं एवं मृत स्कन्द (अभिलेख, फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं उपकरण, आलमारियां, स्टाफ कार इत्यादि) को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिया जाये।

(5) उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के स्टाफ के वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में अनुदान संख्या 21 में लेखाशीर्षक 3456- 001 निदेशन तथा प्रशासन के उपलेखा शीर्षक 04 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 हेतु स्वीकृत समस्त बजट का मदवार पुनर्विनियोजन अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव पर उसी लेखाशीर्षक में जिला फोरमों तथा राज्य आयोग हेतु उपलेखाशीर्षक 06 "उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत स्थापित राज्य आयोग का अधिष्ठान" के अंतर्गत स्वीकृत बजट में कर दिया जायेगा ।

(6) उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के संविलीन किये जाने वाले पद राज्य आयोग की स्टाफ स्ट्रेन्थ में बढ़े हुए माने जायेंगे तथा संविलीन किये जाने वाले पदों के नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के स्थान पर निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ होंगे।

(7) उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय को समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित उपभोक्ता जागरण से संबंधित समस्त कार्य अब राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-265/दस-2004 दिनांक 10 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

अनिल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या मु0स0 10(1)/29-8-2004-सी0पी0 1/87 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वह उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(2) माननीय अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ ।
(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ ।
(4) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(5) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली।
(6) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(11) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश
(14) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
(15) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(16) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 [illegible] खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(17) खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागाध्यक्ष अधिकारीगण एवं समस्त अनुभाग एवं डस्क इकाई- 1 एवं 2
(18) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -7
(19) कार्मिक अनुभाग -4
(20) लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(21) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।